

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(9)ग्रावि/नरेगा/है.ला./2011-12

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
जयपुर।

26 NOV 2012

विषय :-जिला स्तर पर हैल्प लाईन जारी रखे जाने हेतु मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक MGNREGA/संस्था/विविध/2012-13/731 दिनांक


07.08.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य में स्थापित की गई हैल्प लाईन/एच.आई.एम.एस. पर योजना की जानकारी तथा शिकायतें प्राप्त करने, उनके निस्तारण की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजगार की मांग की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों के लिए डैश बोर्ड भी उपलब्ध है।

चूंकि यह सुविधा राज्य के साथ-साथ जिला स्तर के लिए भी उपलब्ध है। अतः इस स्थिति में जिला स्तर से हैल्प लाईन की व्यवस्था जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।


भवदीय

  
(एन.के.गुप्ता)

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा समस्त (जयपुर को छोड़कर) को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में नरेगा हैल्प लाईन कार्यरत है, तो उसे बंद करने की कार्यवाही करावें।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस